मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 2122 /स्था/मुप्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 144 वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई 2017 में लिये निर्णय अनुसार **परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम 2016** के नियम 23 (1) एवं 23 (2) हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू दिशा निर्देशों के कियान्वयन अन्तर्गत आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में अपशिष्ठों के अपवहन हेतु समस्त श्रेणी के संस्थानों को त्वरित प्राधिकार, सम्मति/अनुमति प्रदान करने हेतु परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियम 6 के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारियो को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0 क्रमांक 2123 /स्था/मुप्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017

प्रतिलिपिः–

1. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 2127 /स्था/मुप्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 140 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड के आदेश क्रमांक 391 दिनांक 26/3/2016 द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत किये जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं हेतु फीस का निर्धारण किया गया था । वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अतिरिक्त अन्य अधिवक्ताओं की फीस हेतु राज्य बोर्ड की 144 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आदेश दिनांक 26/3/2016 के अनुक्रम में प्रति प्रकरण रूपये 25000/- पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त शुल्क में अन्य एवं विविध व्यय भी सम्मलित हैं, जिसका भुगतान दो किश्तों में निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :

(प्रथम किश्त) प्रकरण में बोर्ड की ओर से प्रकरण दायर करने/ बोर्ड का उत्तर प्रस्तुत करने पर

(द्वितीय किश्त) प्रकरण में मान्नीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर किया जायेगा।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0 क्रमांक 2128 /स्था/मुप्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017

प्रतिलपिः-

1 समस्त शाखा प्रभारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

2 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।